



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- अनुबन्ध पत्र :-

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसायटी,
जनपद झासी।
द्वितीय पक्ष मेसर्स शिवम टूर एण्ड ट्रेवल्स, दुकान नं०-5 मोदी टावर
जनपद झासी।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा एन०एच०एम० के सहयोगात् बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 05.11.2016 को जनपद झासी में सम्पादित किया गया।
अवधि दिनांक 05.11.2016 से 04.11.2017 तक होगी तथा वर्ष 2017-18 में नये निविदा न होने की स्थिति में जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगी।

1. द्वितीय पक्ष जिला झासी के विकास खण्ड सलगनक सूची के अनुसार एन०एच०एम० के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम हेतु वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा-
 - i- सेवाप्रदाता, प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित सलगनक सूची के अनुसार अनुमोदित निविदा में अंकित दरों पर फिर करायेगा।
 - ii- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यता होनी चाहिये-
 - वाहन पंजीकृत होना चाहिये।
 - वाहन अनुबन्ध की तिथि से निविदा में दी गई अवधि के अनुसार वाहन उपलब्ध कराया जाये, इससे अधिक पुराने वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
 - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारियाँ द्वितीय पक्षकार की काम्पेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत रहनी चाहिए।
 - iii- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्स परामिट आदि होना अनिवार्य है।
 - iv- वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्टिंग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहाने जायें।
 - v- वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन को साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जाये। वाहन को वर्षा ऋतु में रखने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रू० 1000/- प्रतिदिन की दर से अर्थ अधिकार होगा।
2. द्वितीय पक्ष परीहर शर्तों के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू० 50,000/- की वसोहर राशि जमा करेगा।
द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को रू० 50,000/- की राशि वापस करी जायेगी।
3. एन०एच०एम० के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन सम्बन्ध में संचालन संचालन में विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सान्त्वानिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार में संचालन प्रसार प्रोक्टर तथा चिकित्सा पर्यवेक्षण कार्यालय में संचालन कराया जायेगा।

4. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य नियोजित किये गये वाहनचालक के लिये नियोजित द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं रहेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
5. द्वितीय पक्ष को टैक्सी परगिट वाहन का निर्धारित अधिकतम शुल्क ₹0 28500/- प्रति माह देय होगा जिसे कम से कम दूरी तय करना अनिवार्य होगा।
6. वाहन की छोटी मोटी दूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी दूट फूट भी 24 या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
7. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिचालन एवं प्रदर्शन विभाग के निदेशों पर होगा।
8. सभी वाहनों की नियमानुसार लागू बुक तैयार की जायेगी एवं उसका रख-रखाव जनपद/ब्लॉक स्तर के अधिकारी एवं थिलों के साथ उसकी सत्यापित छाया प्रति सलग्न करने पर ही उसका भुगतान किया जायेगा। एक वाहन व बनाये जाना की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
9. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रथम पक्ष प्राधिकृत अधिकारी का होगा।
10. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा सम्बन्धित जनपद के न्यायालय में होगा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में 15 दिनों की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-झासी।

दिनांक-

(द्वितीय पक्ष)

हरताक्षर *Harataksar*

नाम- *Dr. Prasad*

पता- *16/4, Mahavir, Jhansi*

मोबा. *9201213025*

गवाह

1- *Laxesh Rai*

Dr. Prasad

660839308

(प्रथम पक्ष)

हरताक्षर *Harataksar*

2. *Prasad*
231, 1
84131

THE SUPPORTING SUPERVISION VEHICLE DETAILS

AS ON DATE: 20/11/2017


- ① BADALGAON :- UP93AJ-8393 SCORPIO.
- ② CHIRGAON:- UP93BT 2415. MAXICA B.
- ③ BAGINA :- ✓ UP93AT-7386 - HONDA AMAZ
- ④ MOTH :- ✓ UP93AT-8136. - MAXICA B.
- ⑤ BANLARA :- ✓ UP93AR-2978. BOLLERO.
- ⑥ MAURANI PUR :- ✓ UP93AM 5141. BOLLERO.
- ⑦ - BAMORE :- ✓ UP93AW-1226 - - BOLLERO.
- ⑧ - GURABAI :- UP93AR-4904. - BOLLERO.

FROM: SHIVAM TOURS TRAVEL'S

MODI TOWER, JHANSI.

Supportive Supervision vehicle Hiring (Block wise) information 2017-18

S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle Alloted	Vehicle Status
1	Jhansi	Jhansi	Babina	UP93 AT 7386	05-11-2016	1	1
2	Jhansi	Jhansi	Badagaon	UP93 AJ 8393	05-11-2016	1	1
3	Jhansi	Jhansi	Bangra	UP93 AQ 2978	05-11-2016	1	1
4	Jhansi	Jhansi	Bamore	UP93 AW 1226	05-11-2016	1	1
5	Jhansi	Jhansi	Chirgaon	UP93 BT 2415	05-11-2016	1	1
6	Jhansi	Jhansi	Gursarai	UP93 AQ 4904	05-11-2016	1	1
7	Jhansi	Jhansi	Mauranipur	UP93 AM 5141	05-11-2016	1	1
8	Jhansi	Jhansi	Moth	UP93 AT 8136	05-11-2016	1	1


 District Programme Manager
 Jhansi


 ACMO-RCH
 Jhansi


 Chief Medical Officer
 Jhansi

Supportive Supervision vehicle Hiring (Division and District level) information 2017-18

S.No.	Name of division	Name of officer	No of Vehicle allotted	No of Vehicle hired	Vehicle No.	Date of Vehicle Hiring	Sl.No.	Name of District	No of Vehicle allotted	No of Vehicle hired	Vehicle No-1	Vehicle No-2	Date of Hiring
1	Jhansi	AD	1	1	UP93 AT 7743	05-11-2016	1	Jhansi	2	2	UP93 AJ 3546	UP93 AJ 7525	05-11-2016


 District Programme Manager
 Jhansi


 ACMO-RCH
 Jhansi


 Chief Medical Officer
 Jhansi